तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में
06/11/2025	GCMS-2023/748 जयमल/भूमिधारी पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। तहसीलदार पाटन से प्रकरण में जांच रिपोर्ट पूर्व में प्राप्त हुई जो अभिलेख पर ली जाती हैं। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटी एक्ट पर बहस वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटी एक्ट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार पाटन से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थी उक्त प्रकरण में अपनी खातेदारी की भूमि ख0नं0 1155 में आने जाने के लिए रास्ते का अनुतोष चाहता हैं। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट प्रार्थी की खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम नृसिंहवाला प0ह0 डोकन तहसील पाटन अवस्थित खसरा नम्बरान 1155 में आने जाने के लिए प्रस्तावित रास्ता तन ग्राम न्योराणा अवस्थित खसरा नम्बर 759/96 किस्म बंजड़ एवं तन ग्राम नृसिंहवाला अवस्थित खसरा नम्बर 1157 किस्म बंजड़ सिवायचक भूमियों से होकर निकटतम रास्ता हैं। उक्त चाहे गये रास्ते की भूमि की लम्बाई 125 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर हैं। उक्त चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही हैं एवं अत्यान्तिक आवश्यक हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पाटन को आदेशित किया जाता हैं कि प्रार्थी की तन ग्राम नृसिंहवाला प0ह0 डोकन तहसील पाटन अवस्थित खसरा नम्बरान 1155 में आने जाने के लिए तन ग्राम न्योराणा अवस्थित खसरा नम्बर 759/96 एवं तन ग्राम नृसिंहवाला अवस्थित खसरा नम्बर 1157 में से मुताबिक नक्शा ट्रेस व तहसीलदार रिपोर्ट रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं।	

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)

प्रार्थी से उक्त रास्ता भूमि की डीएलसी दर से दुगुनी राशि राजकोष में जमा किये जाने के उपरान्त उक्तानुसार रास्ता कायम किया जाना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पाटन को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 06.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)